

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 137] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 10, 1980/चैत्र 21, 1902

No. 137] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 10, 1980/CHAITRA 21, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 1980

का. आ. 244(अ).—दण्ड प्रक्रिया संहिता (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, राजा के महा अधिवक्ता श्री जे. एस. वासू को, तारीख 28 मई, 1977 की अधिसूचना संख्या का. आ. 374(ई) के अन्तर्गत स्थापित जांच आयोग द्वारा, दण्ड प्रक्रिया संहिता (1974 का 2) की धारा 346 के साथ पठित जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 5 की उपधारा (4) के अधीन चीफ मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, दिल्ली के न्यायालय को प्रेषित निम्नलिखित मामलों के अभियोजनार्थ, भारतीय दण्ड संहिता (1960 का 5) की धारा 178 और 179 के अधीन अपराधों के

सम्बन्ध में प्रत्येक मामले के सामने उल्लिखित व्यक्तियों के विचारण के लिए एतद्वारा विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है ; तथा उक्त पीठ की धारा 24 की उप-धारा (2) के अधीन, श्री एम. एल. नन्दा, अधिवक्ता, को भी इन मामलों में श्री जं. एस. वासु की सहायता के लिए लोक अभियोजक नियुक्त करती है,

1. 1978 का मामला सं. 46/2—श्री जे. सी. शाह बनाम स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ।
2. 1978 का मामला सं. 67/2—श्री जे. सी. शाह बनाम श्री संजय गांधी ।
3. 1978 का मामला सं. 108/2—श्री जे. सी. शाह बनाम श्री बंसीलाल ।

[सं. एफ. बी. आई./11034/5/80]

जे. सी. पान्डेय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 5th April, 1980

NOTIFICATION

S.O. 244(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Criminal Procedure Code (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri J. S. Wasu, Advocate General, Punjab, as Special Public Prosecutor for the purpose of prosecuting the following cases forwarded under sub-section (4) of section 5 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), read with section 346 of the Criminal Procedure Code (2 of 1974), to the Court of Chief Metropolitan Magistrate, Delhi by the Commission of Inquiry constituted under Notification No. S.O. 374(E), dated the 28th May, 1977, for the trial of persons noted against each case for offences under sections 178 and 179 of the Indian Penal Code (45 of 1869); and under sub-section (2) of section 24 of the said Code, hereby also appoints Shri M. L. Narada, Advocate, as Public Prosecutor, to assist Shri J. S. Wasu in these cases :

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Case No. 46/2 of 1978 | — Shri J. C. Shah versus
Swami Dhirendra Brahmanchari. |
| 2. Case No. 67/2 of 1978 | — Shri J. C. Shah versus
Shri Sanjay Gandhi. |
| 3. Case No. 108/2 of 1978 | — Shri J. C. Shah versus
Shri Bansi Lal. |

[No. F. VI/11034/5/80-Comse]

J. C. PANDEY, Jt. Secy.